# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 19/2011 निर्णय दिनांक :– 19/6/2019

1. बुन्दु
2. अहसान

   पुत्रान् अल्लानूर।
3. रोशन बेवा अल्लानूर

   जाति – लूहार, निवासी – कोटखावदा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

...वादीगण

**बनाम**

1. शफी पुत्र आजीमा

   1/1 इस्लाम,

   1/2 मजीद

   1/3 इकराम

   1/4 रसीद

   1/5 शंकर

   1/6 गडुल

   समस्त पुत्रान शफी

   1/7 जूम्मी बेवा शफी

   जाति – लुहार, निवासी – चाकसू, जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।
3. उपपंजीयक कोटखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

...प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

## दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी का वाद निम्न प्रकार पेश किया गया :—

वादीगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4664 रकबा 0.78 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम —कोटखावदा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिसको विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1166 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी तथा 1166 के गत खसरा नम्बर 2857 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2858 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर, खसरा नम्बर 2859 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी। जो वादीगण संख्या 1 व 2 के दादाजी व वादी संख्या 3 के ससुर अजीमा पुत्र दावल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। तब से ही वादीगण उक्त आराजी पर आज काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा लगान सरकार में अदा करवाते चले आ रहे है।

वादीगण तो उक्त आराजी में अपने हिस्सा की आराजी पर शुरू से आज तक मौके काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा अपनी उपज का उपयोग— उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता भोला— भाला व्यक्ति था। उसको किसी तरह का कोई राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही थी। वादी के पिता अजीमा ने गुपचुप तरीके से दिनांक 17/09/1960 को अपने छोटे पुत्र शफी के नाम जुबानी जाहिर कर की आराजी खसरा नम्बर 2857, 2858, 2859 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि की खातेदारी शफी पुत्र अ[illegible]र के नाम की जावे। यह मेरा लडका है मै मेरी मौजूदगी में [illegible] वादीगण के पिता ने अपने पुत्र शफी के पक्ष में न तो कोई किसी तरह के विलेख पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

करवाया। जिससे वादीगण के पिता ने जो जाहिर किया है वो गलत जाहिर किया है। जिससे जाहिर करने से जो नामान्तकरण संख्या 3581 खुल है वो वादीगण के अधिकारों के मुकाबले अवैध एवं प्रभावहीन है। वादीगण अनपढ एवं गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जो उक्त आराजी पर शुरू से अपने हिस्सा की आराजी पर काबिंज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का पिता अल्लानूर की मृत्यू दिनांक 23.01.2005 को हो गई। जब वादीगण अपने पिता का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने की जानकारी की तो उक्त कार्यवही की जानकारी हुई। तब प्रतिवादी से बातचीत की तो प्रतिवादी तो वापिस वादीण्गा को मारने पीटने पर उतारू हो गया। और कहने लगा कि मेरे पिता ने राजी खुशी जमीन नाम करवायी है। तुम्हारा कोई लेना– देना नही है। जिससे वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की आराजी में अपने नाम 1/2 भाग की खातेदारी घोषणा करावे, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिसका वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 20.12.2010 को काश्त का काम कर रहा था तब प्रतिवादी मय दीगर व्यक्तियों को लेकर आया और कहने लगा कि मैं इस जमीन का बेचान कर रहा हूँ, तथा तुम्हें जबरन बेदखल करवाकर रहूँगा, तुम चाहे सो कर लेना। वादी ने बहुत समझाया कि इस जमीन में मेरा भी हिस्सा है, भूमि अपने पिता की छोडी हुई है। लेकिन प्रतिवादी तो ऐलानिया धमकिया सरेआम देकर चला गया। वादीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वो विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम में से 1/2 भाग की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी एवं मजाहमत बेजा न स्वयं करे न अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के दायरी दावे के लिये वाद कारण दिनांक 20.12.2010 को प्रतिवादी द्वारा ऐलानिया धमकियॉ देने तथा भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने की धमकियॉ देने पर उत्पन्न हुआ, जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्कय हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है, दावे में इनके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही गई है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को हासिल है। वादीगण का वाद अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 4664 रकबा 0.78 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम – कोटखावदा, तहसील चाकसू में वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी एवं मजाहमत बैजा न स्वयं करे न अन्य से करावे। दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादी ने हाजीर अदालत होकर दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया कि वाद पत्र की मद नं, 1 गलत है स्वीकार नहीं है वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि मिन प्रतिवादी ही एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा 50 सालों से वादग्रस्त आराजी पर मात्र मिन प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है। वाद पत्र का मद नं. 2 जिस तरह लिखा गया है, गलत है स्वीकार नहीं है वादग्रस्त आराजी पूर्व में स्व0 अजीमा के नाम जरूर थी किन्तु उन्होंने अपने जीवन काल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

ही वादग्रस्त आराजी को मुस्लिम विधि के तहत मिन प्रतिवादी को दान (हिबा) कर दिया जा तथा वादग्रस्त आराजी का कब्जा मिन प्रतिवादी को सम्भला दिया था जिसका नामान्तकरण भी सक्षम राजस्व अधिकारियो ने मिन प्रतिवादी के नाम खोल दिया था तब से प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त चला रहा है। वाद पत्र का मद न0 3 जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नही है सजरा खानदान ठीक बना हुआ है किन्तु वादग्रस्त आराजी से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही है क्योकी स्व0 अजीमा ने वादग्रस्त आराजी का तो अपने जीवन काल में ही मुस्लिम विधि के अनुसार दान (हिबा) कर दिया था। वाद पत्र का मद नं. 4 गलत है स्वीकार नहीं है वादग्रस्त आराजी में ना तो वादीगण का हिस्सा था ना ही मौके पर कभी वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। वाद पत्र का मद नं. 5 गलत है स्वीकार नहीं हैं मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी चल अचल सम्पत्ति का मौखिक दान (हिबा) कर कब्जा अन्तरित कर सकता है स्व. श्री अजीमा ने भी अपने जीवन काल में भी अपनी सम्पत्ति में से वादग्रस्त सम्पत्ती का दान (हिबा) मिन प्रतिवादी नं. 1 को कर दिया था तथा उसी वैद्य हिबा के आधार पर दिनांक 17.9.60 को मिन प्रतिवादी नं. 1 के नाम नामान्तकरण भी सक्षम अधिकारियों ने खोल दिया था। मुस्लिम विधि के अनुसार दान का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है उक्त समस्त तथ्यों की पूरी जानकारी वादीगण के पूर्वज अल्लानूर को थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में कभी भी ऐतराज नही किया किन्तु अब वादीगण ने बिना वजह से दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। वाद पत्र का मद नं0 6 है गलत है स्वीकार नही है वादीगण का ना ही कभी अल्लानूर जी का कब्जा काश्त रहा है। तथा मिन प्रतिवादी नं. 1 के नाम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा होने की जानकारी प्रारंभ से ही वादीगण व उनके पूर्वजों की रही है इस कारण इस मद के समस्त तथ्य मिथ्या व बेबुनियाद है तथा वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादपत्र का मद नं. 7 गलत है स्वीकार नहीं है इस मद के समस्त तथ्य मिथ्या व मनगढंत है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। वाद पत्र का मद नं. 8 गलत है स्वीकार नहीं है, वादीगण किसी भी प्रकार की प्रकार की घोषणा व निषेधांज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र पत्र का मद नं. 9 गलत है स्वीकार नहीं है दिनांक 20.12.2010 या किसी भी अन्य दिनांक वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद पत्र का मद नं0 10 लगायत 12 कानूनी है जवाब आवश्यक नहीं है। वाद पत्र का मद नं. 13 गलत है स्वीकार नहीं है इस मद के उपमद (क) (ख) (ग) में चाहे गये अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

## विशेष आपत्ती

वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है इस कारण बिना कब्जे के घोषणा का दावा चलने योग्य नही है। जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

जवाब दावा पेश होने पर दावा व जवाब दावे के आधार पर नियमानुसार तनकीयात कायम की गयी :–

## तनकीयात

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash

Date: 2021.01.18 17:16:56 IST

Reason: SelfAttested

1. आया विवादग्रस्तह आराजी भूमि वादीग[illegible]तिवादी की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर वादीगण व प्र[illegible]धिकार है।

— — वादी

2. आया वादीगण विवादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

-- वादी

3. आया विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी के नाम गलत लग गई है। जिसको वादीगण अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है।

-- वादी

4. आया वादीगण अपने नाम घोषित 1/2 भाग के बाबत प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

--वादी

5. आया विवादग्रस्त आराजी स्व0 अजीमा ने प्रतिवादी को मौखिक दान (हिबा) की थी, इस कारण वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

--प्रतिवादी

6. दादरसी।

तनकीयात कायम होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण के साक्ष्य करवाये गये तो वादी ने जगदीश पुत्र रूघनाथ, स्वयं वादी बुन्दू खॉ फातमा पुत्री अलानूर खॉ, रोशन बेगम पत्नि आलनूर, नाथूलाल पुत्र तेजराम के बयान करवाये व प्रतिवादी ने लल्लूराम पुत्र रामनारायण, मजीद पुत्र शफी मोहम्मद, इस्लाम पुत्र शफी मोहम्मद, गफूर खॉ पुत्र फत्ता खॉ, के बयान करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:46:56 IST
Reason: SelfAttested

शहादत वादी [illegible] दावा पक्षकारान वकील की सुनी गई तो वकील वादी ने दा[illegible] के समर्थन करते हुए कथन

किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जो वादी अल्लानूर का पुत्र है, वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा वादी के हक में दुरूस्त किया जावे। पूर्व में नामान्तकरण प्रतिवादी के पक्ष में उपसरपंच द्वारा खोला गया है जो उपसरपंच को नामान्तकरण खोलने का अधिकार नही है। अत : दावा वादी डिक्री किया जावे।

जवाब बहस में प्रतिवादी वकील ने वादी की बहस का खंडन करते हुए जवाब दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि नामान्तकरण 1960 हा है तब से लेकर आज तक किसी ने चैलेन्ज नही किया, हिन्दू लॉ पैतृक संबंध में है मुस्लिम पर लागू नही होता है। मुस्लिम लॉ में पैतृक सम्पति का प्रोविजन नही है। नामान्तकरण संख्या 318 में बंटवारा का अंकन किया गया है। इस बाबत नजीर एआईआर ईजेई पेज 2080 का हवाला दिय गया । कब्जा वादग्रस्त भूमि पर मेरा है इस बाबत आरआरडी 2017 का हवाला दिया गया । दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

वादी व प्रतिवादी वकील ने दावे के समर्थन में एक्स पी 1 जमाबंदी सम्वत 2004–2023, जमाबंदी संवत 2015–18, नामान्तकरण संख्या 358 जमाबंदी एकीकरण संवत 2027, मिलान क्षेत्रफल जमाबंदी संवत 2065–68 के बतौर दस्तावेज पेश किये गये।

पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व दावा जवाब दाव गवाहों एवं प्रस्तुत दस्तावेजता का परीक्षण किया जाकर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी नम्बर 1 :– आया विवादग्रस्त आरा[illegible] वादीगण व प्रतिवादी की पैत्रिक [illegible] व प्रतिवादीगण का समान हक व अधि[illegible] है। इस तनकी को साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

करने का भार वादी पर है जो सजरा खानदान वादी ने पेश किया जिसमें प्रतिवादी ने स्वीकार किया, वादग्रस्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2004–23 के अनुसार दावत खॉ पूत्र नूर खां के नाम की दावत खॉ से अजीमा पुत्र दावत के नाम आयी जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण अजीम खां के वारिसान है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण अजीम खां के वारिसान है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का समान रूप से हक व अधिकार होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है इस प्रकार तनकी नंबर एक वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :–आया वादीगण विवादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का भार वादीगण पर है जो वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो जमाबंदी संवत 2004–23 एवं 2015 से 2018 से भली प्रकार से साबित है जिसको प्रतिवादी द्वारा नामान्तकरण संख्या 358 के द्वारा शफी पुत्र अजीम ने अपने नाम लगवा ली जो उक्त नामानतकरण उपसरपंच कोटखावदा के द्वारा तस्दीक किया गया है कि उप सरंपच को नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार नही होने पर भी तस्दीक किया गया है जिसकी घोषणा वादीगण अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:46:56 IST
Reason: SelfAttested

हक में कराने के अधिकारी है इस प्रकार उपसरपंच द्वारा गलत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जिसको वादीगण दुरूस्त कराने के हकदार है। इस प्रकार तनकी नं0 2 वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3:– आया विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी के नाम गलत लग गयी है जिसको वादीगण 1/2 भाग अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है। इस तनकी को भी वादीगण को साबित करनी है जो तनकी नं0 1 व 2 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने व वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रतिवादीगण के नाम गलत तरीके से नाम लग जाने से वादीगण 1/2 हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है। तनकी नं0 3 वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– आया वादीगण अपने नाम घोषित 1/2 भाग के बाबत प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है, इस तनकी को साबित करवाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जो तनकी नं0 1 से 3 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने से वादीगण प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। तनकी नं0 4 भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 5 :– आया विवादग्रस्त आराजी स्व0 अजीम खां ने प्रतिवादी को मौखिक दान (हिबा) की थी इस कारण वादीगण खातेदारी घोषणा के उत्तराधिकारी नही है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो वादग्रस्त आराजी पूर्व में अजीम खां के नाम थी उन्होंने अपने जीवन काल में मुस्लिम विधि के तहत प्रतिवादी को दान (हिबा) कर दिया व कब्जा प्रतिवादीगण को सम्भला दिया जो गवाहों द्वारा भी कब्जा प्रतिवादीगण का बताया जा रहा हैं उक्त दान (हिबा) शुदा भूमि का नामान्तकरण उपसरपंच कोटखावदा द्वारा तस्दीक किया गया। मुस्लिम विधि के अनुसार दान का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है, इसकी पूरी जानकारी वादीगण के पूर्वज अल्लानूर को थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में कभी भी ऐतराज नही किया। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है। प्रतिवादी का कब्जा होने की जानकारी वादीगण को शूरू से ही है। किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम लगाने का कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया व नामान्तकरण जो तस्दीक किया गया है वो भी उपसरपंच के द्वारा तस्दीक किया गया है जो कि उपसरपंच को नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार नही [illegible] स्थिती तें प्रतिवादीगण तनकी को [illegible] रहने से तनकी नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested

5 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

इस प्रकार तनकी नम्बर 1 से 5 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने व प्रस्तुत दस्तावेजात से वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि साबित होने एवं नामान्तकरण उप सरपंच द्वारा तस्दीक किये जाने से दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4664 रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा में वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:16:56 IST
Reason: SelfAttested